

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तावित आय-व्ययक में स्वीकृत धनराशि का विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

माह 31 मार्च, 2024

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों /विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	केन्द्र पोषित योजनाएं												
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (केन्द्रांश)	9521.49	4725.00	3000.00	17246.49	9521.49	3210.89	885.13	13617.51	9521.49	3210.89	885.13	13617.51
	—, —, — राज्यांश	1500.00	525.00	375.00	2400.00	1057.94333	356.76554	98.34779	1513.05666	1057.94	356.77	98.35	1513.05666
	योग NRLM	11021.49	5250.00	3375.00	19646.49	10579.43	3567.66	983.48	15130.56666	10579.43	3567.66	983.48	15130.57
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजान्तर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (केन्द्रांश)	81.00	28.35	25.65	135.00					0.00	0.00	0.00	0.00
	—, —, — राज्यांश	9.00	3.15	2.85	15.00					0.00	0.00	0.00	0.00
	योग MKSP	90.00	31.50	28.50	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजान्तर्गत स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम	225.00	0.00	0.00	225.00	126.44			126.44	126.44	0.00	0.00	126.44
	—, —, — राज्यांश	25.00	0.00	0.00	25.00	14.04889			14.04889	14.05			14.05
	योग SVEP	250.00	0.00	0.00	250.00	140.48889	0.00000	0.00000	140.48889	140.49	0.00	0.00	140.49
4	स्वयं सहायता समूह महिला एवं परिवार के सदस्यों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बि बनाने हेतु प्रशिक्षण	200.00	0.00	0.00	200.00								
	—, —, — राज्यांश	0.01	0.00	0.00	0.01								
	योग	200.01	0.00	0.00	200.01								
	महायोग	11561.50	5281.50	3403.50	20246.50	10719.92	3567.66	983.48	15271.06	10719.92	3567.66	983.48	15271.06
5	पं० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (केन्द्रांश)	1469.70	2351.70	378.00	4199.40	20.91	12.12	8.76	41.79000	20.91	12.12	8.76	41.79
	—, —, — राज्यांश	163.30	261.30	42.00	466.60	7.14332	1.34667	0.97332	9.46331	7.14	1.35	0.97	9.46
	योग DDUKY	1633.00	2613.00	420.00	4666.00	28.05332	13.46667	9.73332	51.25331	28.05	13.47	9.73	51.25
6	प्रधानमंत्री आवास योजना (केन्द्रांश)	26582.90	15683.50	3024.08	45290.48	21099.950	15683.50	2035.80	38819.25	21099.95	15683.50	2035.80	38819.25
	—, —, — राज्यांश	3615.37	1800.00	336.01	5751.38	2344.438	1742.61	254.202	4341.250	2344.44	1742.61	254.202	4341.250
	योग PMAY-G	30198.27	17483.50	3360.09	51041.86	23444.39	17426.11	2290.00	43160.50	23444.39	17426.11	2290.00	43160.50
7	एन.आर.ई.जी.ए. (केन्द्रांश)	29590.64	6316.50	1616.48	37523.62	11232.92040	2736.22420	432.03540	14401.18000	11232.92	2736.22	432.04	14401.18
	एन.आर.ई.जी.ए. (राज्यांश)	10000.00	3000.00	538.83	13538.83	3744.30680	912.07474	144.01180	4800.39334	3744.31	912.07	144.01	4800.39

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों / विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
	राज्यांश	20.00	0.00	0.00	20.00	2.25	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	2.25
	योग UIRD	20.00	0.00	0.00	20.00	2.25	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	2.25
16	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) केन्द्रांश	2606.33	0.00	0.00	2606.33	2606.33	0.00	0.00	2606.33	2606.33	0.00	0.00	2606.33
	राज्यांश	379.7525	0.00	0.00	379.7525	379.7525	0.00	0.00	379.7525	379.7525	0.00	0.00	379.7525
	योग वाइब्रेंट विलेज	2986.0825	0.0000	0.0000	2986.0825	2986.0825	0.0000	0.0000	2986.0825	2986.0825	0.0000	0.0000	2986.0825
17	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)आवास	0.0000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000	0.0000	0.0100	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्यांश	0.0000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000	0.0000	0.0100	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग पीएम-जनमन	0.0000	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) सड़क	0.0000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000	0.0000	0.0100	0.01				
	राज्यांश	0.0000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000	0.0000	0.0100	0.01				
	योग पीएम-जनमन	0.0000	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	योग केन्द्र पोषित योजनाएं	194747.91	36194.51	9338.96	240281.38	117776.56	24655.53	3859.30	146291.39	117776.56	24655.53	3859.26	146291.35
	राज्य पोषित योजनाएं												
1	दीनदयाल उत्तराखण्ड आवासीय योजना	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00			40.00	40.00	0.00	0.00	40.00
3	इन्दिरा अम्मा भोजनालय अन्तर्गत सब्सिडी	200.00	0.00	0.00	200.00	68.60			68.60	68.60	0.00	0.00	68.60
4	राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एन.पी.बी. का भुगतान	5000.00	1900.00	0.00	6900.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00
6	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण	594.47	0.00	0.00	594.47	594.470	0.00	0.00	594.470	535.66	0.00	0.00	535.66
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान	28500.00	4408.04	0.01	32908.05	5413.46	0.00	0.00	5413.46	5413.46	0.00	0.00	5413.46
8	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत	3850.00	950.00	200.00	5000.00	3850.00	950.00	200.00	5000.00	3850.00	950.00	200.00	5000.00
9	विधायक निधि	29314.677	6650.00	1050.00	37014.68	27300.00	6650.00	1050.00	35000.00	27300.00	6650.00	1050.00	35000.00
10	मेरा गांव मेरी सड़क	1385.323	686.958	201.410	2273.691	1385.323	686.958	201.410	2273.691	1385.323	686.958	201.410	2273.691

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों / विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
11	उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण	200.01	0.00	0.00	200.01	200.00			200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
12	सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00			20.00	20.00	0.00	0.00	20.00
13	मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00			500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14	आयुक्त,ग्राम्य विकास पौड़ी के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण	0.01	0.00	0.00	0.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	पी.एम.जी.एस.वाई के अर्न्तगत सेटेज चार्ज,यएस.क्यू.सी.सी. तथा पी.एम.सी. का भुगतान	2800.00	0.00	0.00	2800.00	2800.00			2800.00	2800.00	0.00	0.00	2800.00
16	ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर(आर.बी.आई.)	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00			1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00
17	मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (एम.बी.ए. डी.पी)	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00			2000.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00
18	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपात कालीन निधि	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00
19	मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00			2500.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00
20	ग्राम विकास महायोजना (नई योजना)	500.00	0.00	0.00	500.00				0.00				0.00
21	एसएसजी उत्पादों का विपणन	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00			200.00	200.00			200.00
22	राज्य सेक्टर से संचालित अवरस्थापना परियोजना के अन्तर्गत मिसिंग लिंक परि० हेतु धनराशि अवमुक्त (अनु०सं० 07)	0.00			0.00	115.35			115.35	115.35			115.35
23	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत टापअप (राज्य सेक्टर)	1658.45	484.85	74.65	2217.95	1658.45	484.85	74.65	2217.95	1658.45	484.85	74.65	2217.95
	योग राज्य पोषित योजनाएं	85262.95	15079.85	1526.08	101868.88	59645.65	8771.81	1526.06	69943.52	59586.84	8771.81	1526.06	69884.71
	वाह्य सहायतित योजनाएं												
1	आईफैंड वाह्य सहायतित योजना (ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि योजना)	10000.00			10000.00	10000.00			10000.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00
2	आईफैंड वाह्य सहायतित योजना (ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि योजना)-पूजीगत	0.00			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग वाह्य सहायतित योजनाएं	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों / विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
	सम्पूर्ण योग आयोजनागत	290010.86	51274.36	10865.04	352150.26	187422.22	33427.34	5385.36	226234.92	187363.40	33427.34	5385.32	226176.06
	अधिष्ठान मद												
1	ग्राम्य विकास का मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान	555.75			555.75	535.75			535.75	535.75	0.00	0.00	535.75
2	कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान)	1133.11			1133.11	1133.11			1133.11	1133.11	0.00	0.00	1133.11
3	ग्राम्य विकास संस्थान में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मिकों का वेतन	50.00			50.00	50.00			50.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	पारिश्रमिक व्यय	50.00			50.00	50.00			50.00	50.00			50.00
	ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम	70.00			70.00	63.7325			63.7325	63.7325	0.0000	0.0000	63.7325
	अनुरक्षण	100.00			100.00				0.00	0.00			
4	जनपद/विकास खण्ड अधिष्ठान	17845.89			17845.89	17845.88			17845.88	17845.88	0.00	0.00	17845.88
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अधिष्ठान	8970.00			8970.00	8970.00			8970.00	8970.00	0.00	0.00	8970.00
6	गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान	1495.41			1495.41	1495.41			1495.41	1495.41	0.00	0.00	1495.41
9	ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग	175.01			175.01	175.00			175.00	175.00	0.00	0.00	175.00
10	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना	48.14			48.14	48.14			48.14	48.14	0.00	0.00	48.14
11	डीआरडीए प्रकोष्ठ वेतन भत्ते आदि	62.20			62.20	62.20			62.20	62.20	0.00	0.00	62.20
12	राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रकोष्ठ	75.21			75.21	75.20			75.20	75.20	0.00	0.00	75.20
	योग अधिष्ठान मद	30630.72	0.00	0.00	30630.72	30504.42	0.00	0.00	30504.42	30504.42	0.00	0.00	30504.42
	सम्पूर्ण योग	320641.58	51274.36	10865.04	382780.98	217926.64	33427.34	5385.36	256739.34	217867.83	33427.34	5385.32	256680.49

नोट:- शासन के ई-फाईलिंग पत्र संख्या 1/147732/2023 दिनांक 18 अगस्त 2023 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत केन्द्रांश हेतु अनुदान सं० 19 से रू० 409.36 लाख का पुनर्विनियोग नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में किया गया जिसे नरेगा योजनान्तर्गत केन्द्रांश हेतु आय-व्ययक में अनु० सं० 19 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से घटाकर प्रशासनिक मद के अनुदान सं० 19 में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत जोड़ा गया है।

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों /विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग

- 2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक मद (100 प्रतिशत) के अन्तर्गत रू० 4000.00 लाख, सी०पी०एफ० (100 प्रतिशत) हेतु रू० 108.00 लाख तथा यू०एन०एन०ए०टी०आई० (100 प्रतिशत) हेतु रू० 41.00 लाख, कुल रू० 4149.00 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया है जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।
- 3 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत केन्द्रांश हेतु अनु० सं० 19 के अन्तर्गत रू० 17104.39 लाख, राज्यांश हेतु अनु० सं० 19 के अन्तर्गत रू० 1900.49 लाख तथा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा की प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ण आवासों के आवश्यक साजो सामान हेतु राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि हेतु टापअप के रूप में अनु० सं० 19 के अन्तर्गत रू० 1658.45 लाख, अनुदान सं० 30 के अन्तर्गत रू० 484.85 लाख तथा अनु० सं० 31 के अन्तर्गत रू० 74.65 लाख, इस प्रकार कुल रू० 21222.83 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया है जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।
- 4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रोग्राम फण्ड हेतु अनु० सं० 30 में रू० 1500.00 लाख, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत आधिक्य व्यय भुगतान (टापअप) अनुदान सं० 30 में रू० 4100.00 लाख तथा उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यालय भवन निर्माण हेतु अनुदान सं० 19 के अन्तर्गत रू० 200.00 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया है जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।
- 5 विधायक निधि योजनान्तर्गत अनुदान सं० 30 के अन्तर्गत रू० 1186.25 लाख तथा अनुदान सं० 31 के अन्तर्गत रू० 266.25 लाख, कुल रू० 1452.50 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया है जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।
- 6 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रू० 494.47 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया है जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।
- 7 अधिष्ठान मद के अन्तर्गत आयुक्तालय अधिष्ठान के मानक मद-28-वाहनों के क्रय हेतु रू० 20.00 लाख, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिष्ठान के मानक मद-28-गाड़ियों के क्रय हेतु रू० 10.00 लाख, जनपद/विकास खण्ड अधिष्ठान के मानक मद-28-वाहनों के क्रय आदि में रू० 100.00 लाख तथा गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ अधिष्ठान के मानक मद-02-मजदूरी मद में रू० 10.00 लाख, इस प्रकार अधिष्ठान मदों में कुल रू० 140.00 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया है जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।
- 8 इस प्रकार प्रथम अनुपूरक 2023-24 हेतु कुल रू० 33258.80 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया है जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।
- 9 शासन के ई-फाईलिंग पत्र संख्या 1/159410/2023 दिनांक 06 अक्टूबर 2023 से विधायक निधि योजनान्तर्गत अनु० सं० 30 में रू० 405.00 लाख का पुनर्विनियोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आधिक्य व्यय मद के अनुदान सं० 30 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से किया गया जिसे विधायक निधि योजनान्तर्गत अनु० सं० 30 में आय-व्ययक में रू० 405.00 लाख जोड़ा गया है तथा पीएमजीएसवाई आधिक्य व्यय के अनु० सं० 30 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से रू० 405.00 लाख घटाया गया है।
- 10 शासन के ई-फाईलिंग पत्र संख्या 1/178289/2023 दिनांक 28 दिसम्बर 2023 से मेरा गांव मेरी सड़क योजनान्तर्गत अनु० सं० 19 में विधायक निधि योजनान्तर्गत अनु० सं० 19 में बचत धनराशि से रू० 315.012 लाख, अनु० सं० 30 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत आधिक्य व्यय (टापअप) के अनु० सं० 30 से रू० 57.491 लाख तथा अनु० सं० 31 में विधायक निधि योजनान्तर्गत अनु० सं० 31 में सम्भावित बचत से रू० 15.00 लाख, कुल रू० 387.503 लाख पुनर्विनियोग किया गया है जिसे आय-व्ययक में मेरा गांव मेरी सड़क योजनान्तर्गत अनु० सं० 19, 30, 31 में उक्तानुसार जोड़ते हुए विधायक निधि योजनान्तर्गत बजट प्राविधान में अनु० सं० 19 एवं 31 में तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनु० सं० 30 में बजट प्राविधानित धनराशि कम कर दी गयी है।

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों /विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग

- 11 शासन के ई-फाईलिंग पत्र संख्या 1/185281/2024 दिनांक 25 जनवरी 2024 से केन्द्र पोषित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार द्वारा नयी योजना के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि रू० 2606.33 लाख एवं केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि रू० 379.7525 लाख, कुल रू० 2986.0825 लाख राज्य आकस्मिकता निधि से अवमुक्त कर अनु० सं० 19 के अन्तर्गत पूंजीगत मद में नये लेखाशीर्षक खोलकर धनराशि अवमुक्त की गयी है जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।
- 12 शासन के ई-फाईलिंग पत्र संख्या 1/186259/2024 दिनांक 09 फरवरी 2024 से नई केन्द्र पोषित योजना प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु आय-व्ययक में लेखाशीर्षक खोलकर राज्य आकस्मिकता निधि से टोकन मनी के रूप में कुल रू० 2000.00 की धनराशि का प्राविधान कर अवमुक्त की गयी है।
- 13 शासन के ई-फाईलिंग पत्र संख्या 1/196887/2024 दिनांक 07 मार्च 2024 से मेरा गांव मेरी सड़क योजना अन्तर्गत अनु० सं० 19 के अन्तर्गत रू० 370.311 लाख का पुनर्विनियोग विधायक निधि योजना अन्तर्गत प्राविधानित बजट से किया गया जिसे मेरा गांव मेरी सड़क योजना के प्राविधानित बजट में रू० 370.311 लाख जोड़ते हुए विधायक निधि के अनु० सं० 19 के प्राविधानित बजट से घटाया गया है। इसी प्रकार अनु० सं० 30 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आधिक्य व्यय से रू० 129.467 लाख का पुनर्विनियोग मेरा गांव मेरी सड़क योजना के अनु० सं० 30 के अन्तर्गत किया गया जिसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के आधिक्य व्यय मद (टापअप) के अनु० सं० 30 से घटाते हुए मेरा गांव मेरी सड़क योजना के अनु० सं० 30 में जोड़ा गया है।
- 14 शासन के ई-फाईलिंग पत्र संख्या 1/200712/2024 दिनांक 20 मार्च 2024 से केन्द्र पोषित योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की अनुदान सं० 19 की अवशेष धनराशि रू० 521.49 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा०) के अन्तर्गत अनु० सं० 19 में प्राविधानित धनराशि के स अपेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किया गया जिसे तदनुसार एनआरएलएम केन्द्रांश के अनु० सं० 19 में प्राविधानित धनराशि जोड़ी गयी है जबकि पीएमएवाई(जी) के अनुदान सं० 19 में केन्द्रांश हेतु प्राविधानित धनराशि घटाई गई है।
- 15 शासन के ई-फाईलिंग पत्र संख्या 1/201932/2024 दिनांक 26 मार्च 2024 से अनुदान सं० 19 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत आधिक्य व्यय योजना अन्तर्गत बचत धनराशि से रू० 4000.00 लाख का पुनर्विनियोग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत आपातकालीन निधि के अन्तर्गत किया गया जिसे आधिक्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि को घटाते हुए आपातकालीन निधि योजना अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में जोड़ा गया है।
- 16 जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या 550/ दिनांक 28 मार्च 2024 से मेरा गांव मेरी सड़क योजना अन्तर्गत शासन से स्वीकृत 5 योजनाओं के वर्गवार विभाजन में धनराशि गलत प्रस्तावित होने के कारण रू० 19.02 लाख तथा जनपद चम्पावत द्वारा दो योजनाओं की धनराशि रू० 53.65 लाख तथा अनु० जा० में रू० 15.81 लाख, कुल रू० 88.48 लाख समर्पित किया गया।
- 17 शासन के ई-फाईलिंग पत्र संख्या 1/202684/2024 दिनांक 30 मार्च 2024 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना अन्तर्गत अनुदान सं० 30 के अन्तर्गत बचत धनराशि से रू० 683.50 लाख का पुनर्विनियोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अनुदान सं० 30 के अन्तर्गत किया गया जिसे नरेगा योजना अन्तर्गत अनु० सं० 30 में प्राविधानित धनराशि को घटाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत अनु० सं० 30 के प्राविधानित धनराशि में जोड़ा गया है।
- 18 इन्दिरा अम्मा भोजनालय के अन्तर्गत जनपद पौड़ी द्वारा रू० 2.6317 लाख, जनपद उत्तरकाशी द्वारा रू० 1.779 लाख, जनपद बागेश्वर ने रू० 0.82250 लाख, जनपद टिहरी ने रू० 4.00670 तथा जनपद नैनीताल ने रू० 0.02670 लाख, कुल रू० 9.2666 लाख का समर्पण किया गया।
- 19 मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना अन्तर्गत आईएफएमएस पोर्टल में योजना अन्तर्गत खाता मैप न होने के कारण रू० 5.00 करोड़ धनराशि आहरित नहीं हो पाई तथा समर्पित हो गयी।
- 20 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान योजना अन्तर्गत प्र० प्र० के० देहरादून द्वारा रू० 6939.00, हल्द्वानी द्वारा रू० 1151.00, अल्मोड़ा द्वारा रू० 2112.00, पिथौरागढ़ द्वारा रू० 121093.00, हरिद्वार द्वारा रू० 6222.00 तथा रुद्रपुर द्वारा रू० 1266.00, कुल रू० 138783.00 की धनराशि समर्पित की गयी।